

Date of
Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature
Plea
Pleadings
need

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री डी०आर० बंसल।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

फरियादी एवं आहत सुनीता एवं रामा उपस्थित।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थता के लिए उपयुक्त प्रकरण है।

उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री मौहम्मद अजहर, एसजे गोहद का चुनाव किया है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें।

उभयपक्ष मध्यस्थता हेतु मय अधिवक्तागण के प्रशिक्षित मध्यस्थ के समक्ष आज दिनांक 13.10.17 को 12 बजे स्वतः उप० रहें।

प्रकरण आगामी दिनांक 30.10.17 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।

(A. K. Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt. Bhind (M.P.)

पुनश्च:

उभयपक्ष पूर्ववत।

प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।

फरियादी सुनीता एवं रामा ने एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320, द०प्र०स० राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी एवं आहत के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं आहत की पहचान अधिवक्ता श्री कुशवाह एवं अभियुक्तगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री डी०आर० बंसल द्वारा की गई।





उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी एवं आहत ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी मय, दबाव, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भा०द०वि० की धारा 294, 323/34, एवं 506 भाग-दो के अधीन दण्डनीय अपराध में अभियोगपत्र पेश किया है जो कि समनीय है।

Order Sheet [Contd]

Case No. of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>पक्षकारों के मधुर संबध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के अपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान मे रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।</p> <p>अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34, एवं 506 भाग-दो भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा।</p> <p>प्रकरण मे कोई संपत्ति जब्त नहीं। आगामी नियत दिनांक निरस्त की जाती है।</p> <p>प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख मे दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।</p> <p style="text-align: center;">  (A.K. Gupta) Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.) </p>	<p style="text-align: center;">   Golembi-fical by my (my) </p> <p style="text-align: right;"> सतीश कालेयान  A. K. Gupta 26 </p>